संख्या-4/2022/बी-4-314/दस-2022-10-16/2/2022

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 नवंबर, 2022

विषय : उत्तर प्रदेश इनोवेशन फण्ड का गठन ।

महोदय,

प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इनोवेशन फण्ड (UPIF) के नाम से एक निधि (Corpus) का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य

UPIF में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता (commitment) रू0400 करोड़ की होगी। यह धनराशि प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा एकमुश्त उपलब्ध न कराकर 02 से 03 वर्षों की अवधि में उपलब्ध करायी जायेगी।

UPIF के स्वरुप, संचालन एवं UPIF में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के सापेक्ष विभिन्न प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं के योगदान की धनराशियों का निर्धारण आदि के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित **एम्पॉवर्ड कमेटी** की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए जायेंगे। उक्त कमेटी की संरचना इस शासनादेश के संलग्नक पर स्थित है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर यह प्रयास रहेगा कि अन्य इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स से रू0 1200 करोड़ से रू0 3600 करोड़ तक की प्रतिबद्धता UPIF के कार्पस हेतु प्राप्त कर ली जाए। इन्वेस्टमेन्ट पार्टनर्स से प्रतिबद्धता प्राप्त करने का दायित्व फण्ड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर का होगा। इस प्रकार रू0 4000 हजार करोड़ तक के आकार के कार्पस का सृजन सम्भव हो सकेगा।

UPIF के गठन एवं संचालन हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग होगा ।

संरचना

2- UPIF का संचालन तीन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाईयों, यथा- लॉ-फर्म, ट्रस्ट एवं इन्वेस्टमेण्ट मैनेजर के माध्यम से किया जायेगा। उक्त तीनों इकाईयों का चयन **प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा QCBS पद्धति से** कराया जायेगा, जिसमे सर्प्रथम लॉ-फर्म का चयन किया जायेगा।

3- **लॉ-फर्म** के चयन के कार्य में मेसर्स डिलॉएट द्वारा सलाहकार के रूप में निःशुल्क सेवायें प्रदान की जायेंगी जिसमें बिड डॉक्यूमेण्ट तैयार करने से लेकर बिड्स के मूल्यांकन तक की समस्त कार्यवाहियां सम्मिलित होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा बिड डाक्यूमेंट्स तथा बिड मूल्यांकन रिपोर्ट पर एम्पॉवर्ड कमेटी की संस्तुति प्राप्त कर सक्षम स्तर के अनुमोदन से लॉ-फर्म के चयन के संबंध में आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4- उपरोक्तानुसार चयनित "लॉ-फर्म" द्वारा "ट्रस्ट" तथा "इनवेस्टमेण्ट मैनेजर" के कार्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकार विनिर्दिष्ट करते हुये विधिक दस्तावेज तैयार किये जायेंगे, जिनका अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5- **"ट्रस्ट"** तथा **"इन्वेस्टमेंट मैनेजर"** के कार्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों के संबंध में **लॉ फर्म** द्वारा तैयार किये गये उक्त विधिक दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने पर, ट्रस्ट तथा इन्वेस्टमेण्ट मैनेजर का चयन प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा QCBS पद्धति से, प्रस्तर-3 में लॉ-फर्म के चयन के संबंध में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा । "ट्रस्ट" तथा "इनवेस्टमेण्ट मैनेजर" के चयन हेतु मेसर्स डिलॉएट द्वारा सलाहकार के रूप में निःशुल्क सेवायें प्रदान की जायेंगी।

6- **लॉ फर्म** द्वारा तैयार किये गये विभिन्न दस्तावेजों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन तथा ट्रस्ट एवं इन्वेस्टमेंट मैनेजर का चयन हो जाने पर UPIF को औपचारिक रूप से प्रारम्भ (launch) किया जायेगा।

व्यय

7- ट्रस्ट का गठन होने के पूर्व, UPIF के संबंध में होने वाले व्यय जिसमे लॉ-फर्म की फीस का भुगतान सम्मिलित होगा, हेतु धनराशि प्राविधिक शिक्षण संस्थानों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा एम्पॉवर्ड कमेटी के दिशानिर्देशानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रस्ट का गठन हो जाने के उपरांत समस्त संचालन व्यय फीस आदि का भुगतान, ट्रस्ट के व्यय के रूप में वहन किये जायेंगे।

इन्वेस्टमेंट मैनेजर

8- UPIF के प्रबन्धन तथा निवेश संबंधी निर्णयों का उत्तरदायित्व इन्वेस्टमेंट मैनेजर का होगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर द्वारा कॉर्पस के 2.5 प्रतिशत अथवा रू0 5 करोड़, जो कम हो, के पूँजी योगदान की प्रतिबद्धता दी जायेगी। इन्वेस्टमेंट मैनेजर द्वारा समय-समय पर इनोवेशन फण्ड के कॉर्पस से उपयुक्त समय-सारिणी के अनुसार **वेंचर कैपिटल फण्ड (VCF)** का गठन कर उसे **भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI)** में **अल्टरनेटिव इनवेस्टमेण्ट फण्ड (AIF)** की श्रेणी में पंजीकृत कराया जायेगा। VCFs के गठन की आवर्तिता (periodicity) एवं आकार के संबंध में निर्णय इन्वेस्टमेण्ट मैनेजर द्वारा लिये जायेंगे। VCF के गठन के उपरान्त इन्वेस्टमेंट मैनेजर द्वारा विभिन्न इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स तथा राज्य सरकार से उनकी प्रतिबद्धता के अनुसार पूँजी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

9- इन्वेस्टमेंट मैनेजर द्वारा राज्य सरकार के commmitment के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर संबंधित प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा VCF के आकार एवं investment partners की प्रतिबद्धता के अनुपात में धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

एडवाइजरी कमेटी

10- निवेशकों के हितरक्षण हेतु इन्वेस्टमेंट मैनेजर द्वारा एडवाइजरी कमेटी गठित की जाएगी जिसमे निवेशकों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। एडवाइजरी कमेटी में प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शासन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य रहेंगे। एडवाइजरी कमेटी द्वारा इनवेस्टमेण्ट मैनेजर को अबाध्यकारी सुझाव (non-binding advice) दिये जा सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रिटर्न

11- UPIF से किये गये निवेश पर प्राप्त होने वाले रिटर्न का विभाजन योगदानकर्ताओं के मध्य उनके योगदान के अनुपात में किया जायेगा। इस सम्बंघ में विस्तृत गाइड लाइन्स लॉ फर्म द्वारा तैयार की जायेंगी।

12- उत्तर प्रदेश के वायबल (viable) स्टार्टअप्स को UPIF के अन्तर्गत निवेश में वरीयता प्रदान की जायेगी। यह प्रयास भी रहेगा कि फण्ड के अन्तर्गत निवेश प्राप्त करने वाले अन्य स्टार्टअप्स अपना बिजनेस उत्तर प्रदेश में अवश्य स्थापित करें।

13- UPIF के संबंध में नीतिगत निर्णय लिए जाने तथा UPIF के संचालन में आने वाली कठिनाईओं को दूर करने के संबंध में एम्पॉवर्ड कमेटी द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को सुझाव दिए जा सकेंगे जिन पर विचार कर शासन द्वारा समुचित निर्णय लिए जायेंगे।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-4/2022/बी-4-314/दस-2022-10-16/2/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-बी-4- /दस-2022-10-16/2/2022 का संलग्नक

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, एम.एस.एम.ई. विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य संयोजक
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।